न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 11/2024

अनवान : –

1. शारदा पुत्री कमला पुत्री लिखमीचन्द जाति जाट साकिन बडबिराना तहसील नोहर।
2. राजेन्द्र पुत्र कमला जाति जाट निवासी बडबिराना तहसील नोहर।
3. पंकज पुत्र कमला जाति जाट साकिन बडबिराना तहसील नोहर।

– सायलान

बनाम्

1. कुलदीप कुमार पुत्र रामसिंह गोदारा जाति जाट साकिन बडबिराना तहसील नोहर।
2. नरेश कुमार पुत्र रामसिंह जाति जाट साकिन बडबिराना तहसील नोहर।
3. उप पंजीयक नोहर तहसील नोहर।
4. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– गैरसायालान

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट.

उपस्थिति :– 1. श्री हवासिंह पूनिया अधिवक्ता **सायल**
2. श्री राजपाल झोरड़ अधिवक्ता **गैरसायल**

निर्णय दिनांक: 04/06/2025

संक्षेप में प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है की प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 के तहत इस आशय का पेश किया है कि रोही मौजा बडबिराना तहसील नोहर के खाता स0 335/332 की कुल 0.9063 हैक्ट भूमि व रोही मौजा बडबिराना तहसील नोहर के खाता स0 362/335 की कुल 6.3230 हैक्ट भूमि में से 5/66 हिस्सा भूमि व रोही मौजा जोगीआसन न0 3 तहसील नोहर के खाता स0 10/63 की कुल 22.4600 हैक्ट भूमि में से 1.134 हैक्ट भूमि प्रतिवादी स0 1 के नाम दर्ज थी।

उक्त तीनों खातो की भूमि पैतृक भूमि है जो लिखमीचन्द पुत्र भुराराम को विरासतन प्राप्त हुई है लेकिन कर्ता खानदान होने के कारण अकेले के नाम दर्ज हो गयी जबकि उक्त भूमि में लिखमीचन्द के अलावा उसके दो लड़के दावा में प्रतिवादी स0 1 व 3 व लिखमीचन्द की लडकी कमला कुल 4 बहिब के हकदार थे प्रार्थीया स0 1 का जन्म से ही उक्त भूमि में हक हिस्सा था। वाद भूमि पैतृक होने के कारण उक्त भूमि में लिखमीचन्द 1/4 हिस्सा का हकदार था लेकिन लिखमीचन्द व उसके दोनो लड़कों ने साजिसाना कार्यवाही करते हुए अपने पिता के नाम दर्ज भूमि को साजिसाना तरीके से रोही मौजा बडबिराना के खाता स0 335/332 की कुल 23.9260 हैक्ट भूमि में से 0.9063 हैक्ट भूमि व रोही मौजा बडबिराना के खाता स0 362/335 की कुल 6.3230 हैक्ट भूमि में से 5/66 हिस्सा भूमि व रोही मौजा जोगी आसन स0 3 के खाता स0 10/63 की कुल 22.4600 हैक्ट भूमि में से 1.134 हैक्ट भूमि का बैयनामा दिनांक 13.12.2023 को उप पंजीयक कार्यालय नोहर में गैरसायल स0 1 ता 2 के पक्ष में तस्दीक करवा दिया जो हक व हिस्सा से ज्यादा भूमि होने के कारण सायलान के हकूके के मुकाबले शुन्य व प्रभावहीन घोषित करवाकर अपने हक व हिस्सा को अपने नाम दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। उक्त भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में गैरसाय[illegible] 1 ता 2 के नाम दर्ज होने के कारण गैरसायल स0 1 ता 2 भूमि को [illegible] है जिससे सायलान को अपूर्णीय क्षति होगी। इसलिए गैरसायल के खि[illegible]ज्ञा जारी की जावे [illegible] उक्त भूमि को रहन, बैय व मुन्तकिल व न करे एवं मौका व रिका[illegible] की यथास्थिति बनाये [illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2025.06.19 16:27:52 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। रोही मौजा बडबिराना तहसील नोहर के खाता स0 335/332 की कुल 23.9260 हैक्ट भूमि में से 0.9063 हैक्ट भूमि व रोही मौजा बडबिराना तहसील नेाहर के खाता स0 362/335 की कुल 6.3230 हैक्ट भूमि में से 5/66 हिस्सा भूमि व रोही मौजा जोगीआसन न0 3 तहसील नोहर के खाता स0 10/63 की कुल 22.4600 हैक्ट भूमि में से 1.134 हैक्ट की अस्थाई निषेधाज्ञा विरूद्ध अप्रार्थी स0 1 ता 2 इस आशय की जारी की गई की अप्रार्थी स0 1 ता 2 उक्त भूमि को रहन, बैय व मुन्तकिल न करे।

अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 ता 2 ने जरिये अधिवक्ता जवाब प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया की उत्तरदाता की उक्त भूमि जरिये बैयनामा समस्त प्रतिफल देकर खरीद की गई। उक्त भूमि पर उत्तरदातागण काबिज है एवं गैरसायल रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है। प्रार्थीगण द्वारा गैरसायलान को तंग व परेशान करने के लिए यह प्रार्थना पत्र पेश किया गया है जो की खारिज योग्य है।

बहस अधिवक्ता उभयपक्ष सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए बहस में निवेदन किया की उक्त तीनों खातो की भूमि पैतृक भूमि है जो लिखमीचन्द पुत्र भुराराम को विरासतन प्राप्त हुई है लेकिन कर्ता खानदान होने के कारण अकेले के नाम दर्ज हो गयी जबकि उक्त भूमि में लिखमीचन्द के अलावा उसके दो लड़के दावा में प्रतिवादी स0 1 व 3 व लिखमीचन्द की लडकी कमला कुल 4 बहिब के हकदार थे प्रार्थीया स0 1 का जन्म से ही उक्त भूमि में हक हिस्सा था। वाद भूमि पैतृक होने के कारण उक्त भूमि में लिखमीचन्द 1/4 हिस्सा का हकदार था लेकिन लिखमीचन्द व उसके दोनो लड़कों ने साजिसाना कार्यवाही करते हुए अपने पिता के नाम दर्ज भूमि को साजिसाना तरीके से रोही मौजा बडबिराना के खाता स0 335/332 की कुल 23.9260 हैक्ट भूमि में से 0.9063 हैक्ट भूमि व रोही मौजा बडबिराना के खाता स0 362/335 की कुल 6.3230 हैक्ट भूमि में से 5/66 हिस्सा भूमि व रोही मौजा जोगी आसन स0 3 के खाता स0 10/63 की कुल 22.4600 हैक्ट भूमि में से 1.134 हैक्ट भूमि का बैयनामा दिनांक 13.12.2023 को उप पंजीयक कार्यालय नोहर में गैरसायल स0 1 ता 2 के पक्ष में तस्दीक करवा दिया जो हक व हिस्सा से ज्यादा भूमि होने के कारण सायलान के हकूके के मुकाबले शुन्य व प्रभावहीन घोषित करवाकर अपने हक व हिस्सा को अपने नाम दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। उक्त भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में गैरसायल स0 1 ता 2 के नाम दर्ज होने के कारण गैरसायल स0 1 ता 2 भूमि को रहन, बैय करना चाहते है जिससे सायलान को अपूर्णीय क्षति होगी। इसलिए गैरसायल के खिलाफ अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावे की वे उक्त भूमि को रहन, बैय व मुन्तकिल व न करे एवं मौका व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे।

अधिवक्ता अप्रार्थीगण ने जवाब प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए बहस में कथन किया की अप्रार्थीगण की उक्त भूमि जरिये बैयनामा समस्त प्रतिफल देकर खरीद की गई। उक्त भूमि पर अप्रार्थीगण काबिज है एवं रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है। प्रार्थीगण द्वारा अप्रार्थीगण को तंग व परेशान करने के लिए यह प्रार्थना पत्र पेश किया गया है जो की खारिज योग्य है

बहस उभयपक्ष प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 सुनी गई। हमने प्रार्थना पत्र, जवाब प्रार्थना पत्र, उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का गहन अध्ययन करने के उपरान्त इस नतीजे पर [illegible] बाबत हकों का निर्धारण मूल वाद के निर्णय में तय होना है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 के प्रार्थना पत्र के निस्तारण के दौरान केवल यह देखना है कि प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन किसके पक्ष मे है तथा अपूर्णीय क्षति किसको होती है? पत्रावली में प्रस्तुत राजस्व रिकार्ड के अनुसार

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2025.06.19 16:27:52 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

रोही मौजा बडबिराना के खाता स0 335/332 की कुल 23.9260 हैक्ट भूमि में से 9063/478520 हिस्सा भूमि व रोही मौजा बडबिराना के खाता स0 362/335 की कुल 6.3230 हैक्ट भूमि में से 5/132 हिस्सा भूमि व रोही मौजा जोगी आसन स0 3 के खाता स0 10/63 की कुल 22.4600 हैक्ट भूमि में से 567/22460 हिस्सा भूमि अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 2 प्रत्येक के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है। पत्रावली में संलग्न रजिस्टर्ड बैयनामा के अवलोकन से स्पष्ट है कि उक्त वाद भूमि अप्रार्थीगण द्वारा जरिये रजिस्टर्ड बैयनामा खरीद की गई है लेकिन प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के मुताबिक उक्त भूमि पूर्व में भूरा के नाम दर्ज रही है एवं भुरा के बाद लिखमीचंद के नाम दर्ज हुई है। प्रार्थीगण का कथन है कि दावा में दर्ज प्रवितादी स0 1 द्वारा उक्त भूमि का गैरसायल स0 1 ता 2 के पक्ष में बैयनामा तस्दीक करवाया गया है जो हक व हिस्सा से ज्यादा भूमि होने के कारण सायलान के हकूके के मुकाबले शुन्य व प्रभावहीन है। अर्थात विवाद एक ही परिवार के सदस्यों के मध्य है। वादग्रस्त भूमि पैतृक है। हस्तगत प्रकरण में वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय में विचाराधीन है, वादग्रस्त भूमि को पैतृक, मौरूसी एवं स्वअर्जित सम्पति होना और पक्षकारों का वादग्रस्त भूमि में हक निर्धारण होना शेष है जो मूल वाद में साक्ष्य उपरान्त ही निर्धारित हो सकेगा और स्पष्टतः विवाद एक ही परिवार के सदस्यों के मध्य है क्योंकि पूर्व में उक्त भूमि सायलान के पूर्वजो के नाम दर्ज रही है और जहां विवाद एक ही परिवार के सदस्यों के मध्य हो वहां रिकार्डेड खातेदार को भी निषिद्ध किया जा सकता है ताकि भविष्य में वाद बाहुल्यता को रोका जा सकें। अतः न्यायालय के विनम्र अभिमत में प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में साबित होता है। जब प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीगण के पक्ष में सिद्ध हो गया है तो सुविधा का संतुलन भी प्रार्थीगण के पक्ष में सिद्ध होता है एवं अप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना उचित प्रतीत होता है। प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन प्रार्थीगण के पक्ष में साबित होता है अतः अपूर्णीय क्षति भी प्रार्थीगण को होगी न की अप्रार्थीगण को। अतः न्यायालय का विनम्र मत है कि प्रार्थीगण के पक्ष में तीनों बिन्दु प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन, अपूर्णीय क्षति साबित होने के कारण प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीएक्ट स्वीकार किया जाना विधिसंगत समझते है।

अतः उपरोक्त विवेचन के अवलोकन में प्रार्थना पत्र 212 आरटीएक्ट बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा साबित होने के कारण स्वीकार किया जाता है। अस्थाई निषेधाज्ञा बहक प्रार्थीगण विरूद्ध अप्रार्थीगण इस आशय का कन्फर्म किया जाता है कि अप्रार्थीगण सं0 1 ता 2 रोही मौजा बडबिराना तहसील नोहर के खाता स0 335/332 की कुल 23.9260 हैक्ट भूमि में से 0.9063 हैक्ट भूमि व रोही मौजा बडबिराना तहसील नोहर के खाता स0 362/335 की कुल 6.3230 हैक्ट भूमि में से 5/66 हिस्सा भूमि व रोही मौजा जोगीआसन न0 3 तहसील नोहर के खाता स0 10/63 की कुल 22.4600 हैक्ट भूमि में से 1.134 हैक्ट भूमि की न्यायालय हाजा में विचाराधीन वाद का निस्तारण होने तक वादग्रस्त भूमि की यथास्थिति बनाये रखे। पत्रावली इस कदर निर्णय शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हों।

यह निर्णय आज दिनांक 04/06/2025 मेरे द्वारा लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2025.06.19 16:27:52 IST
Reason: SelfAttested

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर